न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –60 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/169

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म श्री सांवरिया दूध डेयरी, चन्द्रेसल रोड कोटा संचालक बाला गुर्जर पुत्र पोलू गुर्जर निवासी चन्द्रेसल रोड जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशानुसार घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 25.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित सन्ध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती समीक्षा भटनागर, प्रवर्तन निरीक्षक चन्द्रेसल रोड कोटा क्षेत्र में संचालित श्री सांवरिया दूध डेयरी मौके पर पहुंचे । मौके पर बाला गुर्जर पुत्र पोलू गुर्जर निवासी बोराबांस, जिला कोटा उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म /दुकान का मालिक होना बताया जिनकी उपस्थिति में जांच का कार्य सम्पादित किया गया । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान मे 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) गैस भट्टी से जुडा पाया गया जिसका उपयोग डेयरी पर दूध को गरम कर क्रीम निकालने हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना पाया गया । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक बाला गुर्जर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा अवैध रूप से संग्रहण एवं दुरूपयोग किया जा रहा है । मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान इण्डेन गैस एजेंसी, कोटा के मैनेजर श्री हिमाद्री गोयल पुत्र श्री मुकेश गोयल को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 5553/– अक्षरे पांच हजार पांच सौ तरेपन रूपये है ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	049448	14.2	15.5	20.0	7.5	घरेलू
2	HPCL	440235	14.2	15.5	24.2	8.7	घरेलू

इस प्रकार चन्द्रेसल रोड कोटा क्षेत्र में संचालित श्री सांवरिया दूध डेयरी के मालिक बाला गुर्जर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित

स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) एवं उसमें भरी हुई 16.2 किग्रा गैस को राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी रूप से राजसात करने का आदेश प्रदान करें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पैरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।

3. पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।

4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि मेरी डेयरी श्री सांवरिया दूध डेयरी चन्द्रेसल रोड कोटा पर दिनांक 25.2.2026 को जिला रसद कार्यालय कोटा के अधिकारियों का औचक निरीक्षण हुआ । इस दौरान डेयरी पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर 1 एच.पी. का एवं 1 इण्डेन का पाया गया । उस समय बाजार में कॉमर्शियल सिलेण्डर की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण मेरे द्वारा डेयरी कार्यो में भूलवश घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था । उक्त दोनों सिलेंडर कार्यवाही के दौरान जब्त कर लिया । अज्ञानतावश हुई इस गलती के लिए मुझे क्षमा करते हुए उक्त प्रकरण में माफ करने की कृपा करते हुए केस वापस लेने की कृपा करें मैं गरीब परिवार का सदस्य हूं । इस प्रकरण के कारण मुझे मानसिक अवसाद महसूस हो रहा है ।

5. हमने पैरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पैरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर श्री मोहित राठौर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) एवं उसमें भरी हुई 16.2 किग्रा गैस को राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी रूप से राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर के सम्बन्ध में निवेदन किया है कि कॉमर्शियल सिलेण्डरों की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण अज्ञानतावश डेयरी कार्य हेतु घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना स्वीकार किया है तथा प्रकरण में माफ करने व कार्यवाही बन्द करने का निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी नहीं की जा रही थी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित होगा ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 02 गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा